

आदेश

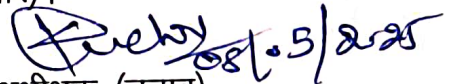
उपायुक्त, हिसार के पत्र क्रमांक/चुनाव सहायक(पंचायत)2025/301 दिनांक 08.04.2025 द्वारा की गई सिफारिश के दृष्टिगत ग्राम पंचायत आदमपुर मण्डी व जवाहर नगर में खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी आदमपुर, जिला हिसार को ग्राम पंचायतों की सम्पत्ति के रख-रखाव, ग्रामवासियों के हित में ग्राम पंचायत का कार्य सुचारु रूप से चलाने के लिए हरियाणा पंचायती राज, 1994 की धारा 49 के अन्तर्गत सरपंच के चुनाव तथा आगामी आदेशों तक प्रशासक नियुक्त किया जाता है।

चण्डीगढ़, दिनांक
06.05.2025

अमित कुमार अग्रवाल, आई0ए0एस0
आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,
विकास एवं पंचायत विभाग, चण्डीगढ़।

पृ० क्रमांक ई0सी0ए02-2025/ 21069-74 दिनांक : 8/5/25
इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. उपायुक्त, हिसार के सिफारिश पत्र क्रमांक/चुनाव सहायक(पंचायत)2025/301 दिनांक 08.04.2025 के संदर्भ में।
2. अतिरिक्त उपायुक्त, हिसार।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, हिसार।
4. जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी, हिसार।
- ✓ 5. कार्यकारी अभियंता(आई0टी0) मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर आदेश को अपलोड करने हेतु।
6. खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी, आदमपुर (जिला हिसार)।


अधीक्षक (चुनाव)

कृते: आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,
विकास एवं पंचायत विभाग, चण्डीगढ़।

Sh. Gaurind/ Sh. Mohit